

शेराराम बनाम लो.सू.अ.( उपखण्ड अधिकारी फलोदी )

सू.अ.अ. अपील संख्या 20/2021

01.03.21

अपीलार्थी शेराराम पुत्र बीजाराम मेघवाल, पता अगुणा बास मथानिया तहसील तिवरी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 21.12.20 में उसके द्वारा (1) आपके कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 75/1078 दिनांक 28.08.1975 की प्रमाणित प्रति, उक्त कार्यालय द्वारा वर्ष 1970 से 1980 तक मथानिया ग्राम के सम्बंध में किए गए सम्पूर्ण आदेशों की प्रमाणित प्रति व उक्त कार्यालय द्वारा तहसीलदार औसियां को किस गांव में पट्टे जारी किए (वर्ष 1970 से 1980 तक), से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी फलोदी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी फलोदी ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी फलोदी ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई। चूंकि अपीलार्थी द्वारा जो सूचना चाही जा रही है अति पुरानी, अस्पष्ट है तथा विस्तृत भी हो सकती है, परन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को जबाब दिया गया या नहीं, तथ्यापत्मक रिपोर्ट भी प्रेषित नहीं की जो अत्यन्त खेदजनक है अतः उपखण्ड अधिकारी फलोदी को निर्देशित किया जाता है कि वो प्रार्थी के आवेदन के अनुसार चाही गई सूचना उपलब्ध है तो तुरन्त देवें अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से अवगत कराया जाय। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।